तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/9/19	अधि० प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री बलराम चौपड़ा Adv. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। नकल दिलायी। आप० रहे। तलबी अप्रार्थी नं. 2 की जारी होकर दिनांक 10/10/19 को पेश हो।	
10/10/19	अधिवक्ता जगत्पाल स्थगित है। पी.ओ. साहब बाहर ... ... अधिकारानुसार दिनांक 25/10/19 को पेश हो।	
25/10/19	अधि० उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से श्री BR चौपड़ा Adv. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। नकल दिलायी। आप० रहे। वास्ते बहस दिनांक 5/11/19 को पेश हो।	
5/11/19	अधिवक्ता ... स्थगित है। पी.ओ. साहब बाहर ... ... अधिकारानुसार दिनांक 5/11/19 को पेश हो।	
5/11/19	अधि० उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि आ. ख. नं. 2122 रकबा 0.13 हे०, 2121/2 रकबा 0.05 हे० वाके ग्राम बालापुरा अटान तहसील रोडा रायसिंह में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की अन्य खातेदारी की आराजियात के मध्य में एक ही चक के रूप में स्थित है जिसको प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी नं. 1,2 का उक्त आराजी से कोई सरोकार या वास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजियात पर कब्जा नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आराजियात को गलत व अवैधानिक रूप से अप्रार्थी नं. 1,2 के नाम आवंटन गलत कर दिया। अप्रार्थीगण का आवंटन कागजी आवंटन है लाठी के बल पर अप्रार्थीगण उक्त आराजियात	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जबरन कब्जा करना चाहते है। दि० 15/5/19 को अप्रार्थीगण ने गालियां धमकी दी कि वे मौका पाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करायेंगे। फसल को नष्ट करेंगे। जबरन कब्जा करेंगे। बेदखल करेंगे। यदि अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण की उक्त बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थी को अकथनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं हो सकेगी। दावा करने का अभिप्राय: समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि आ. ख. नं. 2122 रकबा 0.13 हे०, 2121/2 रकबा 0.05 हे० वाके ग्राम बालापुरा अटान तहसील रोडा रायसिंह में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत नहीं करें। प्रार्थी की उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करें। फसल को नष्ट नहीं करें। जबरन बेदखल नहीं करें। पत्थरगढ़ी के सीमाचिन्ह अंकित नहीं करें। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आ. ख. नं. 2122 रकबा 0.13 हे० अप्रार्थी नं. 1 की तथा आ. ख. नं. 2121/2 रकबा 0.05 हे० अप्रार्थी 2 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात है जिससे प्रार्थी का कोई सरोकार या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है जिनकी तरमीम भी हो रखी है। प्रतिपक्षीगण अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात की पत्थरगढ़ी भी करवाने के अधिकारी है। कब्जा भी अप्रार्थीगण का अपनी 2 आराजीयात पर है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है।	

तामील हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार है। दावा सरसरी तौर पर Barred by law है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय निषेध हेतु खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने प्रा० पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल आवंटन आदेश, फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2071-74 खतौनी संख्या 196, 183 वाके ग्राम बालापुरा जाटान पेश किये।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र व जवाब के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबंदी खतौनी सं. 196 के अनुसार आ. ख. नं. 2122 रकबा 0.13 हे० वाके ग्राम बालापुरा जाटान अप्रार्थीया नं. 1 सुशीला की खातेदारी में दर्ज है। जो सुशीला को दिनांक 16.11.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन शुदा है। तथा आराजी खसरा नम्बर 2121/2 मुताबिक खतौनी संख्या 183 जमाबंदी सम्वत 2071-74 वाके ग्राम बालापुरा जाटान अप्रार्थी नं. 2 श्रवण पुत्र जगन्नाथ बैरवा सा० बावड़ी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अर्थात अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी का उक्त आराजियात से किसी भी तरह का कोई सरोकार या वास्ता भी नहीं होना जाहिर है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं था अर्थात उन्हें पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में अप्रार्थीगण को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हुए

अकथनीय हानि होना जाहिर है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर प्रार्थी को किसी तरह की अपूरणीय हानि होना व प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया होना तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना साबित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का केस संधारणीय नहीं है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी संधारणीय नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20/5/2019 को भी अपास्त किया जाकर तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि० 5/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल वाद रहे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)